न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 22/2019

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जोधपुर मुख्यालय मण्डोर ।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. तुलसीराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी ग्राम आंगणवा तहसील व जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत सूरपुरा, पंचायत समिति जोधपुर मुख्यालय मंडोर जरिये सरपंच।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या–21 दिनांक 22.05.99 मिसल संख्या–34/98–99 जो ग्राम पंचायत सूरपुरा, पंचायत समिति जोधपुर मुख्यालय मण्डोर द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष मे जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत्।

– – –

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री जी0 के0 बोहरा उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री कुलदीपसिंह राठौड उपस्थित।

–आदेश – **दिनांक :–30.10.2019**

संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर मुख्यालय मण्डोर द्वारा कथित फर्जी पट्टों की जांच करने पर पाया गया कि अप्रार्थी सं0–2 ग्राम पंचायत सुरपुरा, पंचायत समिति जोधपुर (मण्डोर) ने आबादी भूमि विक्रय के नियमों के विधि विरूद्ध एवं नियमों के विरूद्ध कर जरिये पट्टा विलेख नम्बर 21 दिनांक 22.05.99 जो मिसल संख्या 34/98–99 अप्रार्थी संख्या 1 तुलसीराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी आंगणवा, तहसील व जिला जोधपुर के पक्ष में जारी किया गया, को निरस्त कराने के लिए यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत पेश हुई।

यह पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र सर्वप्रथम न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर के यहाँ पेश हुई। पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत सुरपुरा से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी–1 की ओर से

अधिवक्ता श्री कुलदीसिंह राठौड ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत से रेकर्ड के रूप में पट्टे की मूल प्रति प्राप्त हुई।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 1927 दिनांक 28.12.2018 के द्वारा सुनवाई हेतु मुंतकिल की गई।

पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 16.10.2019 को लिखित में बहस प्रस्तुत की गई तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को ही बहस समझी जाए। प्रार्थीपक्ष की ओर से पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र में अवगत कराया कि लोकायुक्त सचिवालय जयपुर के समक्ष ग्राम आंगणवा में ग्राम पंचायत सुरपुरा के पूर्व सरपंचों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान विधि विरूद्ध एवं नियमों के विरूद्ध जाकर सैकड़ों पट्टे जारी करने की शिकायत पेश होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर के पत्रांक 969 दिनांक 02.03.2016 के सन्दर्भ में विकास अधिकारी, पंचायत समिति जोधपुर (मण्डोर) ने जांच कर जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को प्रेषित की गई। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि अप्रार्थी–2 ग्राम पंचायत सुरपूरा द्वारा मिसल सं0 34/98–99 के आधार पर अप्रार्थीपक्ष सं0–एक के पक्ष में दिनांक 22.05.99 को पट्टा विलेख सं. 21 विधि एवं नियमों के विरूद्ध जारी किया गया। आगे यह भी लिखा कि पट्टा बुक नियमानुसार ग्राम पंचायत की मांग के अनुसार संबंधित पंचायत समिति के द्वारा जारी की जाती है, परन्तु इस आलौच्य पट्टा से संबंधित पट्टा रजिस्टर ग्राम पंचायत ने सीधे बाजार से खरीदकर पट्टा विलेख जारी किये गये जो विधि मान्य नहीं हो सकता है।

प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस में कहा कि मूल पट्टो की तीसरी प्रति पंचायत समिति में जमा करावानी अनिवार्य होती है परन्तु ग्राम पंचायत ने जानबूझकर मूल पट्टे की तृतीय कॉपी पंचायत समिति में जमा नहीं करवाकर नियमों का उल्लघंन किया है। यह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 168(3) के तहत अनिवार्य है।

प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कहा कि राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 145 के तहत पट्टा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि का सम्पूर्ण विवरण दर्ज कर ऐसी भूमि का नक्शा संलग्न कर आवेदन किया गया, परन्तु फीस जमा कराने की रसीद का अंकन नहीं है। पुनरीक्षण में आगे यह भी बतलाया कि नियम 148 में आपत्तियां आमत्रिंत करना, नियम 149 के तहत प्राप्त आपत्तियां का निपटारा एवं नियम 150 पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने का संकल्प लेकर,

नियम 151 में निलामी की कमेठी गठित करना, नियम 152 में विद्यमान बाजार कीमत से शुरू निलामी की कार्यवाही करने का प्रावधान है, जो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत आबादी भूमि के विकास के लिए भूमि का पंचायतीराज विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराकर विकास योजना के अनुसार नीलाम व आंवटन की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने का प्रावधान है, जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई। राज. पंचायतीराज अधिनियम,1994 की धारा 97 के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही में परिसीमा बाधित नहीं है फिर भी प्रार्थी द्वारा देरी कन्डोन की प्रार्थना की है। आलौच्य पट्टा नियमों एवं विधि विरूद्ध जारी करने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस दिनांक 16.10.2019 को प्रस्तुत की तथा मौखिक बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989 में गांव आगणवा की 5 बीघा भूमि आबादी घोषित कर दी थी, जिस पर ग्राम पंचायत ने विधिवत रूप से पट्टे जारी किये और उक्त पट्टो की जांच में मुझ अप्रार्थी को बिना सुने राजनैतिक दबाव में उक्त निगरानी पेश की है जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो पर अप्रार्थी संख्या 1 का मकान बना हुआ है। जिसमें वह मय परिवार रहवास कर रहा है और इस प्रकार उक्त पट्टे विधिवत् जारी होना स्पष्ट है।

उक्त पट्टे पंचायत राज अधिनियम की धारा 156, 157 के तहत जारी किये गये है जो कि वर्षों पुराने कब्जे को नियमन कर जारी किये गये है। जिस कारण नियम 145, 148, 149, 150, 151, 152 व 142 के प्रावधान लागू नहीं होते है। जिस कारण निगरानी खारिज योग्य है।

श्रीमान विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो की रिविजन प्रस्तुत करने का कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं है जिस बाबत् माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत भी है।

उपरोक्त मामले में संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत पूर्ण रूप से लागू होते है।

1. 2017 (3) WLN 283
2. RLW 1961 253
3. DNJ (4) 2015 page 1853

पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 के तहत ग्राम पंचायत के द्वारा जारी पट्टो की अपील पंचायत समिति में होती है उसके बाद ही पंचायत निगरानी की जा सकती है।

मौजूदा पंचायत निगरानी बिना अपील के प्रस्तुत होने के कारण कानूनन धारा 61 के तहत काबिले निरस्त है।

पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी पंचायत निगरानी बिना अपील के पेश नहीं की जा सकती। ऐसे में मौजूदा पंचायत निगरानी धारा 97 के तहत खारिज होने योग्य है। यह है कि उक्त पंचायत निगरानी लगभग 20 वर्षों बाद पेश की है जो मयाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त पंचायत निगरानी को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत निगरानी का अध्ययन किया और अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड का भी अवलोकन किया।

अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक का मुख्य कथन रहा कि निगरानी में कालबाधित पट्टे को चुनौती दी गई है चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के तहत पंचायत के किसी आदेश के विरूद्ध 30 दिवस के भीतर पंचायत समिति के समक्ष अपील पेश करने का प्रावधान है, परन्तु आलौच्य पट्टा जारी 1999 में किये जाने से अपील मियाद समाप्त हो चुकी है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में यह भी स्पष्ट किया गया कि '' राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर पर, किसी भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेंगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तद्नुसार आदेश कर सकेगी। ''

इस प्रकरण में पटवारी (भू0अ0) ग्राम आगणवा ग्राम पंचायत सुरपूरा तहसील जोधपुर से ग्राम आगणवा से सम्बन्धित पट्टे की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.03.2019 व राजस्व रेकर्ड के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 तुलसीराम पुत्र गेनाराम जाति जाट को पट्टा विलेख संख्या 21 दिनांक 22.05.99 को जारी होना बताया उक्त भूमि नगर सुधार न्यास (जोधपुर विकास प्राधिकरण), जोधपुर के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसकी किस्म बारानी IV गैर मुमकिन है। अतः उपरोक्त भूमि पर ग्राम पंचायत सुरपूरा को पट्टा विलेख जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होते हुए भी सरकारी भूमि का पट्टा जारी कर दिया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत को अपनी आबादी भूमि में ही पट्टा विलेख जारी करने का अधिकार है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर मुख्यालय मण्डोर द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 तुलसीराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी ग्राम आगणवा तहसील व जिला जोधपुर को पट्टा विलेख संख्या 21 दिनांक 22.05.99 जो मिसल संख्या 34/98–99 जो ग्राम पंचायत सुरपूरा द्वारा जारी किया गया को एतद् निरस्त किया जाता है। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति के साथ प्राप्त मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत सुरपूरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.11.27 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: